न्यायालय सम्मानीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प – सागर (म.प्र.)

श्रीमति स्मिता पत्नि सुधीर कुमार जैन
निवासी सूबेदार वार्ड, सागर तह. व जिला सागर (म.प्र.)

---- **पुनरीक्षणकर्ता**

।। विरूद्ध ।।

मध्यप्रदेश शासन

---- **रेस्पान्डेन्ट**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करती है –

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 592/अ–2/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–09–2015 से परिवेदित होकर सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है ।

1– यह कि, सम्मानीय अनुविभागीय अधिकारी तथा सम्मानीय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाना न्यायहित में है ।

2– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर ने अधीक्षक भू–अभिलेख (परि० भू) सागर के गलत प्रतिवेदन दिनांक 11–07–2012 पर विश्वास करके वादग्रस्त आदेश पारित कर दिया है। वास्तविकता यह थी कि पुनरीक्षणकर्ता ने भूमि की मद परिवर्तित नहीं की थी। पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपने प्लाट पर वाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया था । भूमि की मद परिवर्तित नहीं की थी, किन्तु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर ने मौजा सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 315/2, 316/2 रकवा 717 वर्गफुट भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ मानकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के तहत 717 वर्गफुट भूमि का आवासीय दर से पुनः निर्धारण कर भू–भाटक रूपये 32/– दिनांक 1–10–2011 से लगातार प्रतिवर्ष एवं म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 59 (5) के अन्तर्गत प्रव्याजी रूपया 500/– रूपये तथा बिना अनुमति निर्माण कार्य प्रारंभ करने में अर्थदण्ड 66000/– रूपये अंकन छियासठ हजार रूपया आरोपित करने में गंभीर भूल की है । अधीक्षक भू–अभिलेख (परि० भू) ने स्थल निरीक्षण किये बिना ही गलत तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस

/2/...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 21/II/16 .... जिला (गुना)

स्थान तथा दिनांक	श्रीमती मिंता कार्यवाही तथा आदेश शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	प्रकरण में आवेदक अधि० श्री विनोद जैन उपस्थित। प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश का परिशीलन किया गया। आक्षेपित आदेश दिनांक 21-9-15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदिका द्वारा भूमि का बिना व्यपवर्तन कराये मकान निर्माण कराया गया है तथा बिना अनुमति के निर्माण कार्य होने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है जो उचित है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय आधार अधी० न्यायालय तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता कि आवेदिका द्वारा भूमि व्यपवर्तित कराकर निर्माण किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21-9-15 विधि संगत होने से स्थिर रखा जाता है तथा निगरानी सारहीन होने से तथा उसमें	

[कृ. प. उ.

R. 21/11/16 (नागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्रीमती निमता शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। (हस्ताक्षर) (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.